तथा एक अखाड़ा मिला। हलके अवशेष और अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्मारक उठाकर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिए गए है जोकि आजकल नागार्जुनसागर झील में एक टापू है।

ग्रांड ट्रंक रोड को अधिकार में लेने का प्रस्ताव

5095. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रांड ट्रंक रोड को अपने अधिकार मे लेने का है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि बिहार में उक्त सड़क की दशा अत्यन्त शोचनीय है तथा वर्षा ऋतु में कर्मचारियों तथा मोटर गाड़ियों को इधर उधर रुक जाना पडता है; और

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिससे सभी राज्य इसका उपयोग कर सकें ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (ग): पेशावर से कलकत्ता तक स्थल मार्ग का पुराना नाम ग्रांड ट्रंक सड़क है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम संख्याओं के रूप में दिये गये है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 वह सड़क है जो अमृतसर से जालन्धर, लुधियाना, करनाल और दिल्ली को जाती है। दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 आगरा, इटावा, बोगनीपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ससराम, धनबाद वर्तमान कलकत्ता जाती है। पुराना ग्रांड ट्रंक सड़क दिल्ली से बुलन्दशहर, अलीगढ़ और कानपुर जाती है। यह भाग राष्ट्रीय राजमार्ग नही है बल्कि राज्य मुख्यमार्ग है जिसका अनुरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार करती है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के समान्तर जाती है और इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपने हाथ में लेने का विचार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का शेष भाग नहीं है जो पुरानी ग्रैंड ट्रंक सड़क है और इसका अनुरक्षण और सुधार राष्ट्रीय राजमार्ग निधियों से किया जा रहा है। ग्रैंड ट्रंक सडक का बिहार में पड़ने वाला भाग इकहरी गली वाली काली सतह की तंग और कमजोर पटरी वाली सड़क है। अपर्याप्त चौडाई के कारण भारी मोटर गाड़ियों का आरपार जाने में कच्चे किनारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वर्षा के समय वे कभी कभी जमीन में फंस जाते है। इस सड़क को चौड़ा करने और सशक्त करने का काम चौथी योजना काल में किया जा रहा है। अन्य मुख्य मार्गों की भांति ग्रैंड ट्रक सड़क भी यातायात के लिए उपलब्ध है और किसी ऐसी योजना बनाने का प्रश्न नही उठता है जिससे इसका प्रयोग सब राज्य कर सकें।

UNESCO Coupon Scheme for Inflow of Cultural and Scientific Material

5096. SHRI C. CHITTIBABU : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state .

(a) the outline of UNESCO coupon scheme in regard to the inflow of cultural and scientific material ;

(b) whether the coupons are payable in local currency of the country requiring such material ; and

(c) whether Government propose to popularise the scheme in India for a free flow of ideas and cultural achievements abroad ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI D. P. YADAVA) : (a) The UNESCO Coupon Scheme enables institutions and individuals in any one country to buy publications, educational films and scientific material from other countries without their having to acquire foreign exchange for the purpose. The purchaser buys coupons, paying for them in his local currency, and sends them directly to the supplier abroad who executes the order and redeems the coupons with UNESCO in the currency of his choice. In all participating countries, the Governments have appointed distributing agencies to sell UNESCO Coupons. In India, the distributing body is the Indian National Commission for Co-operation with UNESCO. UNESCO coupons are intended for the use of both